महत्वपूर्ण/समयबद्ध

संख्या- 97/1143/84-1-2013-1270भवन/10

प्रेषक,

धर्म चन्द्र पाण्डेय,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी ,
लखनऊ।

उपभोक्ता संरक्षण एवं बांट माप अनुभाग-1 लखनऊ दिनांक 11 नवम्बर,2013

विषय- जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष फोरम प्रथम व द्वितीय लखनऊ का न्यायालय/ कार्यालय मोती महल परिसर दो राणा प्रताप मार्ग लखनऊ के किराये वृद्वि के प्रस्ताव के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपको सम्बोधित राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग के अर्धशासकीय पत्र संख्या-2794/एस.सी.डी.आर.सी./यू.पी./भ.कि/03-04 दिनांक 25.10.2013 (प्रति संलग्न) की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रश्नगत भवन के संबंध में आपके कार्यालय द्वारा अभी तक किराया औचित्य प्रमाण पत्र निबंधक, राज्य आयोग को उपलब्ध नही कराया गया है। जिससे अग्रेतर कार्यवाही संभव नही हो पा रही है। अतः आपसे अनुरोध है कि कृपया प्रश्नगत भवन का किराया औचित्य प्रमाण पत्र शीघ्र निर्गत करने का कष्ट करें

संलग्नक-यथोपरि।

भवदीय,

(धर्म चन्द्र पाण्डेय)
अनु सचिव।

संख्या तथा दिनॉक यथोक्त।

प्रतिलिपि निबंधक, राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्0, लखनऊ को उनके उपरोक्त संदर्भित पत्र के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।

आज्ञा से,

(धर्म चन्द्र पाण्डेय)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in